

विषय सूची

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v-vi
विहगावलोकन		vii -xiii
परिचय		
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप		
प्रस्तावना	1-2	1-2
जवाब देयता संरचना	3-4	2-4
राज्य पीएसयूज द्वारा लेसो का प्रस्तुतिकरण	5-6	4
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) में निवेश	7-9	5-6
भाग-I		
अध्याय I		
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप		
परिचय	1.1-1.2	7-9
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण	1.3	9
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.4	9-10
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता	1.5	10-11
राजस्थान सरकार के वित्त लेसो के साथ मिलान	1.6	12
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेसो का प्रस्तुतिकरण	1.7	12-13
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन	1.8-1.19	13-25
उज्ज्वल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत सहायता	1.20	25-28
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेसो पर टिप्पणियां	1.21	28
निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप	1.22	29
लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.23 – 1.24	29
अध्याय II		
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित निष्पादन लेखापरीक्षा		
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
सामग्री के प्रापण एवं प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1-2.22	31-77
अध्याय III		
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप		
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
वितरण ट्रांसफार्मर्स का प्रापण, प्रबंधन, निरस्तीकरण एवं निपटान	3.1	79-105
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड		
दोषयुक्त योजना के कारण गैस आधारित विद्युत संयंत्र का संचालन ना होने से निष्फल व्यय	3.2	105-108
कोयला आपूर्ति अनुबंधों में अपर्याप्त वाक्यांश के कारण सांविधिक प्रभारों की अवसूली	3.3	108-109
मेगापावर प्रोजेक्ट पॉलिसी के प्रावधानों का पालन के बिना आरडब्लूएस का कार्य देने से अतिरिक्त व्यय	3.4	109-112
राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड		
मुद्राक शुल्क का परिहार्य अधिक भुगतान	3.5	112-113
भाग-II		
अध्याय-IV		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप		
परिचय	4.1 - 4.2	115-116
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश	4.3-4.4	116-117
राज्य पीएसयूज(ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण	4.5	117
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता	4.6	117-119
राजस्थान सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान	4.7	119-120
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण	4.8	120-122
सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो का प्रस्तुतिकरण	4.9	122
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखों के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव	4.10	122
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन	4.11-4.23	123-137
अकार्यरत पीएसयूज का समापन	4.24	137
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों पर टिप्पणियां	4.25-4.26	138-139
अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद	4.27	139
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो पर अनुवर्ती कार्यवाही	4.28-4.30	139-140
अध्याय V		
सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप		

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड		
निर्माण पूर्ण करने व उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने एवं प्रतिधारित प्रभारों की वसूली की निगरानी में प्रणालीगत कमीयां	5.1	141-153
भूमि की लागत से नीचे अनुचित आंक्टन के कारण परिहार्य हानि	5.2	153-155

अनुबंध

अनुबंध संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	ऊर्जा क्षेत्र कम्पनियों के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अन्तिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	157
2.	राज्य सरकार द्वारा सात ऊर्जा क्षेत्र कम्पनियों में स्थापना से 31 मार्च 2018 तक लगाई निधियों को दर्शाने वाला विवरण पत्र	158
3.	आरटीपीपी अधिनियम 2012/नियम 2013 के अन्तर्गत सामग्री के प्रापण के लिए निर्धारित प्रावधानों के क्रियान्वयन में विचलन को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	159-161
4.	अनुपयोगी शेष रही सामग्री को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	162
5.	निष्क्रिय सामग्री के प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण -पत्र	163-164
6.	टर्नकी ठेकेदारों से अधिशेष सामग्री को स्वीकार करने संबंधित प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण -पत्र	165-166
7.	अप्रयुक्त सामग्री की घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण पत्र	167-168
8.	मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा ट्रांसफॉर्मर्स की आवश्यकता का मूल्यांकन, प्रापण, नियोजन और प्रबंधन समिति (पीपीएमसी) द्वारा अनुमोदित मात्रा, मात्रा जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी एवं मात्रा जिसके लिए 2015-18 की अवधि के दौरान जेवीवीएनएल द्वारा क्रय आदेश जारी किए गए थे।	169-170
9.	2015-2018 के दौरान जेडीवीवीएनएल द्वारा ट्रांसफॉर्मर्स की आवश्यकता का आंकलन, अनुमोदित मात्रा, निविदा की मात्रा तथा आदेशित मात्रा को दर्शाने वाला विवरण पत्र	171-173
10.	जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल द्वारा निविदाओं के अंतिमीकरण में देरी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	174
11.	जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल में डीटी की गैर आपूर्ति मात्रा के लिए लगाए जाने वाले जुर्माने को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	175

अनुबंध संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
12.	2015-18 की अवधि के दौरान उप-स्वण्ड के अनुसार विफल डीटीज की संख्या की स्थिति व डीटी की विफलता दर (गारण्टी अवधि के पहले या बाद में) को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	176
13.	वर्ष 2015 से 2018 के दौरान स्वराब केन्द्रिय भण्डार/आपूर्तिकर्ता फर्म के पास पड़े हुए गारण्टी अवधि के दौरान स्वराब डीटीज जिन्हे केन्द्रीय भण्डार में जमा की गई, उठायी गई, मरम्मत की गई तथा पुनः वापस दी गई को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	177
14.	31 मार्च 2018 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पूँजी एवं बकाया ऋण (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	178-180
15.	राजस्थान सरकार के वित्त लेखों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों में 31 मार्च 2018 को पूँजी, ऋण एवं गारंटी शेषों के अंतर को दर्शाने वाला विवरण पत्र	181
16.	राज्य सरकार द्वारा राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त), जिनके लेखे बकाया है, में बकाया लेखों के वर्षों के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण पत्र	182
17.	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अन्तिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	183-186
18.	राज्य सरकार द्वारा संचारित किया गया कोष (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) 2000-01 से 2017-18 की समयावधि के दौरान दर्शाने वाला विवरण पत्र	187-191
19.	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) में निर्माण कार्यों की समाप्ति, उत्पादन गतिविधियों के प्रारम्भ तथा प्रतिधारण शुल्क की वसूली से संबंधित अनुच्छेद पर कोष की सिफारिशों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	192
20.	31 मार्च 2018 तक चूककर्ता आवंटियों से प्रतिधारण शुल्क की गैर धारण/वसूली को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	193
21.	नियमों के अनुसार प्रतिधारित प्रभार/ भूमि की अतिरिक्त लागत जमा नहीं कराने वाले आवंटियों से, प्रतिधारित प्रभारों की गणना एवं वसूली न करना एवं आवंटियों को प्रदान अनुचित छूट को दर्शाने वाला विवरण पत्र	194-196